दिनांक 02.03.2025
प्रेस विज्ञप्ति 03/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा रमजान, होली एवं ईद उल फितर आदि त्यौहारों के दृष्टिगत सुदृढ़ सुरक्षा एवं कानून–व्यवस्था के सम्बन्ध में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से दिये गये दिशा–निर्देश

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा आज दिनांक 02.03.2025 को समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपद प्रभारी उ0प्र0 के साथ वीडियो कॉन्फ्रसिंग के माध्यम से महाकुम्भ मेला–2025 के निर्वाध एवं सकुशल सम्पन्न कराने में अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उच्चकोटि के व्यवहार एवं आचरण के साथ पूर्ण मनोयोग से किये गये कार्यो की प्रशन्सा की गयी तथा रमजान, होली एवं ईद उल फितर आदि त्यौहारों के दृष्टिगत सुदृढ़ सुरक्षा एवं कानून–व्यवस्था के सम्बन्ध में समीक्षा की गयी तथा मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही के निर्देश दिये गयेः–

- त्योहारों के दौरान किसी प्रकार की नई परम्परा शुरू करने की अनुमति न दी जाये। सभी त्योहार पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के अनुरूप सम्पादित कराये जायें।
- धर्मगुरूओं/पीस कमेटी की बैठक पूर्व से ही वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में करा ली जाये तथा बैठक के दौरान यदि कोई विवाद की बात संज्ञान में आती है तो तत्काल उनका सम्बंधित विभागों के सहयोग से समाधान करा लिया जाये।
- होली का त्यौहार शुक्रवार के दिन पड़ने के मद्देनजर अपने–अपने क्षेत्र में पूर्व से समस्त कार्यक्रम के आयोजकों, पीस कमेटी एवं धर्मगुरूओं आदि के साथ प्रत्येक स्तर पर गोष्ठी कर ली जाये। गोष्ठी में सम्बन्धित मजिस्ट्रेट एवं अन्य विभागों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर त्योहारों से सम्बन्धित समस्त समस्याओं का समाधान समय से करा लिया जाय।
- सभी क्षेत्राधिकारी अपने–अपने क्षेत्र में भ्रमण कर होलिका दहन व जुमे की नमाज को लेकर सभी धर्म के सम्भ्रान्त नागरिकों से वार्ता कर पूर्व से ही यदि कोई विवाद परिलक्षित होता है तो उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुये सम्बंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर समय से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।
- दंगा नियंत्रण स्कीम का रिहर्सल कराते हुए सभी उपकरणों की गुणवत्ता, उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाये तथा उन्हें महत्वपूर्ण स्थानों पर स्ट्राइकिंग रिजर्व के साथ व्यवस्थापित किया जाये।

- जनपद में उपलब्ध पुलिस बल की समीक्षा कर ली जाये एवं अधिकाधिक संख्या में पुलिस बल का शांति व्यवस्था बनाये रखने में उपयोग किया जाये।
- समस्त थाना प्रभारी अपने–अपने क्षेत्र में पड़ने वाले रेलवे ट्रैक का मैप अपने पास रखेगा तथा रेलवे ट्रैक के आस–पास रहने वाले व्यक्तियों का पूर्ण ब्यौरा भी अपने पास रखेगे। अपने चौकी/बीट प्रभारियों से पूर्व से ब्रीफ करते हुए इन क्षेत्रों में पड़ने वाले ग्राम के ग्राम सुरक्षा समितियों की गोष्ठी कर उन्हे जागरूक किया जाये, जिससे किसी भी दशा में पत्थर फेकने की घटना की पूर्नरावृत्ति न होने पाये तथा जीआरपी, आरपीएफ से समन्वय बनाते हुए उन्हे भी बैठक में शामिल किया जाये।
- मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में समुचित पुलिस प्रबन्ध कर सतर्क दृष्टि रखी जाये तथा समाज में विद्वेश फैलाने वाले असामाजिक/अवांछनीय तत्वों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- अवैध/अपमिश्रित शराब के निष्कर्षण, विक्रय तथा परिवहन को रोकने हेतु आबकारी विभाग के पदाधिकारियों एवं स्थानीय मजिस्ट्रेट से समन्वय स्थापित कर आकस्मिक चेकिंग करते हुये उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाय।
- आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के अंतर्गत पूर्व स्थापित सीसीटीवी कैमरों की क्रियाशीलता को चेक कर लिया जाये तथा नये स्ट्रेटिजिक प्वाइंटों पर स्थापित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- अपराधियों के कन्विक्शन पर अत्यधिक ध्यान दिया जाय तथा आपरेशन कन्विक्शन के तहत पूर्व निर्गत निर्देशों के अनुसार मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराकर अधिक से अधिक अभियोगों में अभियुक्तों को सजा दिलाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- जनपदों में पूर्व से बनायी गयी प्रमोशन/वेतन निर्धारण समिति द्वारा अपने–अपने जनपदों में समयबद्ध प्रमोशन तथा समयबद्ध वेतन वृद्धि के प्रकरणों को भी नियमानुसार सभी कामिकों को सुनिश्चित कराया जाये इसमें किसी भी प्रकार का विलम्ब क्षम्य नहीं होगा।
- ड्रोन कैमरे के माध्यम से आयोजन स्थलों, संवेदनशील स्थानों, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों की निगरानी की जाये तथा जुलुस के मार्गों एवं हॉट स्पाट पर प्रर्याप्त/सुदृढ़ पुलिस प्रबन्ध किया जाये।
- नये भर्ती होने वाले प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण हेतु समस्त आधार भूत सुविधाओं एवं संसाधनो की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

- प्रशिक्षणाधीन कर्मियों को निर्धारित मानक के अनुरूप आधुनिक तकनीक के तहत प्रशिक्षित कराये जाने हेतु पूर्व से ही विस्तृत दिशा निर्देश दिये जा चुके हैं उनका पूर्णतः अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराया जाये।
- पिछले होली के अवसर पर यूपी–112 के इवेन्ट को चेक करा ले तत्पश्चात उसी अनुरूप पीआरवी के वाहनों का व्यवस्थापन कराया जाये तथा पुलिस के अन्य पैट्रोलिंग वाहनों द्वारा चिन्हित हॉटस्पॉट्स/संवेदनशील स्थलों पर राजपत्रित अधिकारियों के पर्यवेक्षण में प्रभावी गश्त/पेट्रोलिंग/चेकिंग करायी जाए।
- आसूचना तंत्र को और अधिक सक्रिय/सतर्क रखा जाय तथा विभिन्न असामाजिक, अवॉछनीय एवं साम्प्रदायिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखते हुए छोटी से छोटी सूचना को भी अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुये तत्परता पूर्वक यथोचित वैधानिक कार्यवाही की जाये।
- समस्त कमिश्नरेट/जनपद की सोशल मीडिया टीम 24X7 सोशल मीडिया के प्रत्येक प्लेटफार्म पर निगरानी रखें तथा मुख्यालय स्थित सोशल मीडिया टीम से समन्वय रखते हुये आपत्तिजनक/भ्रामक पोस्ट का तुरंत संज्ञान लेकर त्वरित वैधानिक कार्यवाही की जाय।

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश

दिनांक 02.03.2025
प्रेस विज्ञप्ति 04/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मऊ/थाना दोहरीघाट

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 02.03.2025 को थाना दोहरीघाट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बस स्टैण्ड के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अनिल कुमार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना दोहरीघाट पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अनिल कुमार निवासी इब्राहिमपुर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

जनपद बरेली/थाना बहेडी

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 19 लाख रूपये कीमत के चोरी के 19 तोला सोने के आभूषण**
- **चोरी के 18 हजार रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जीवित कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 02-03-2025 को थाना बहेडी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मेगा फूड पार्क नैनीताल रोड से 03 अभियुक्तों 1–प्रदीप कुमार 2–अमित 3–कुशान्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 19 लाख रूपये कीमत के चोरी के 19 तोला सोने के आभूषण, चोरी के 18 हजार रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जीवित कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 12-02-2025 को थाना बहेडी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बहेडी पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बहेडी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–प्रदीप कुमार निवासी ग्राम कढिया सासी बोंडा जनपद राजगढ़ मध्यप्रदेश।

2–अमित निवासी लक्ष्मीपुरा थाना छावड़ा जनपद बारा राजस्थान।

3–कुशान्त निवासी नई बरसात थाना मुगावली जनपद अशोक नगर मध्यप्रदेश।

बरामदगी

1–लगभग 19 लाख रूपये कीमत के चोरी के 19 तोला सोने के आभूषण।

2–चोरी के 18 हजार रूपये नगद।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जीवित कारतूस।

4–01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद जालौन/थाना कदौरा

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 02 लाख 75 हजार 500 रूपये नगद**
- **चोरी के जेवरात, बर्तन आदि**
- **चोरी का 01 ट्रैक्टर, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 02.03.2025 को थाना कदौरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पीली कोठी बम्बा के पास से अभियुक्त बेनी प्रसाद को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का

अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 02 लाख 75 हजार 500 रूपये नगद, चोरी के जेवरात, बर्तन आदि, चोरी का 01 ट्रैक्टर, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 26.01.2025 को थाना कदौरा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कदौरा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया, ट्रैक्टर, मोटर साइकिल आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कदौरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–बेनी प्रसाद निवासी छोटीभेड़ी थाना कदौरा जनपद जालौन।

बरामदगी

1–चोरी के 02 लाख 75 हजार 500 रूपये नगद।

2–चोरी के जेवरात, बर्तन आदि।

3–चोरी का 01 ट्रैक्टर, 01 मोटर साइकिल आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–49

- **पुलिस कार्यवाही में 06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 07 चार पहिया वाहन**
- **03 इलेक्ट्रानिक डिवाइस, 05 अन्य गाडियों की चाभी, 06 फर्जी नम्बर प्लेट**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 01/02.03.2025 को थाना सेक्टर–49 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेक्टर–76 मेट्रो स्टेशन के पास चेकिंग के दौरान कार सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–सोनू घायल हो

गया, जिसे अभियुक्त 2–पवन कुमार 3–रघुवंश सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के निशादेही पर अभियुक्त 4–गुरमीत 5–सतीश 6–अमित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 07 चार पहिया वाहन, 03 इलेक्ट्रानिक डिवाइस, 05 अन्य गाड़ियों की चाभी, 06 फर्जी नम्बर प्लेट, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त सोनू के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग, अभियुक्त रघुवंश के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग, अभियुक्त अमित एवं पवन के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 03–03 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से बरामद चार पहिया वाहन चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–49 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–सोनू निवासी दरीरपुर थाना कपूरपुर जनपद हापुड़।

2–पवन कुमार निवासी दहरपुर थाना कपूरपुर जनपद हापुड़।

3–रघुवंश निवासी अछरोंडा थाना परतापुर जनपद मेरठ।

4–गुरमीत निवासी बलजीत नगर पटेल नगर दिल्ली।

5–सतीश निवासी लडरावन थाना बहादुरगढ़ जनपद सोनीपत हरियाणा।

6–अमित निवासी खानपुर देवली थाना नेपसराय दिल्ली।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की 07 चार पहिया वाहन।

2–03 इलेक्ट्रानिक डिवाइस, 05 अन्य गाडियों की चाभी, 06 फर्जी नम्बर प्लेट।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद बहराइच/थाना खैरीघाट

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **04 अवैध तमंचा विभिन्न बोर**
- **02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 02.03.2025 को थाना खैरीघाट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लोनियनपुरवा, पाठकपुरवा दीसण नदी के पास अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्तों 1–निसार 2–राजेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 04 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना खैरीघाट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–निसार निवासी डेयोढ़ी डीहा थाना तम्बौर जनपद सीतापुर।

2–राजेश निवासी डेयोढ़ी डीहा थाना तम्बौर जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1–04 अवैध तमंचा विभिन्न बोर।

2–02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

3–भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद आजमगढ़/थाना कोतवाली

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **धोखाधड़ी के 03 लाख 51 हजार 500 रूपये नगद**
- **07 प्रेस आईडी, 03 आधार कार्ड, 01 एटीएम, 01 पुलिस आईडी**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 01-03-2025 को थाना कोतवाली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर राहुल नगर मड्या ठण्डी सड़क से अभियुक्त पठान अली को

गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से धोखाधड़ी के 03 लाख 51 हजार 500 रूपये नगद, 07 प्रेस आईडी, 03 आधार कार्ड, 01 एटीएम, 01 पुलिस आईडी, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त बुजुर्ग महिलाओं व कम पढ़े–लिखे लोगो को विश्वास में लेकर गहनो को शुद्ध करने के नाम पर अपनी बातो में उलझाकर धोखाधड़ी की घटना कारित की जाती है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद हरदोई, रायबरेली, आजमगढ़, फिरोजाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद व कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के डेढ़ दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–पठान अली निवासी शाहगंज थाना शाहगंज जनपद जौनपुर।

बरामदगी

1–धोखाधड़ी के 03 लाख 51 हजार 500 रूपये नगद।

2–07 प्रेस आईडी, 03 आधार कार्ड, 01 एटीएम, 01 पुलिस आईडी।

3–01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद आजमगढ़/थाना रौनापार

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 70 लाख रूपये कीमत के 06 कुन्तल 19 किलो 25 ग्राम अवैध गांजा**
- **नगद रूपया**
- **01 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 02-03-2025 को थाना रौनापार व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर महुला गढ़वल बंधा स्थित कैंची मोड़ के पास चेकिंग के

दौरान अभियुक्त शैलेन्द्र उर्फ मिन्टू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 70 लाख रूपये कीमत के 06 कुन्तल 19 किलो 25 ग्राम अवैध गांजा, नगद रूपया, 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना रौनापार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शैलेन्द्र उर्फ मिन्टू निवासी कुरूंगा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

बरामदगी

1–लगभग 70 लाख रूपये कीमत के 06 कुन्तल 19 किलो 25 ग्राम अवैध गांजा।

2–नगद रूपया।

3–01 चार पहिया वाहन आदि।

————————